XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1244–दो/04 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–7–14	इस प्रकरण में दिनांक 31–7–14 के बाद से आवेदक की ओर से कोई अभि.उप. नहीं हो रहा । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

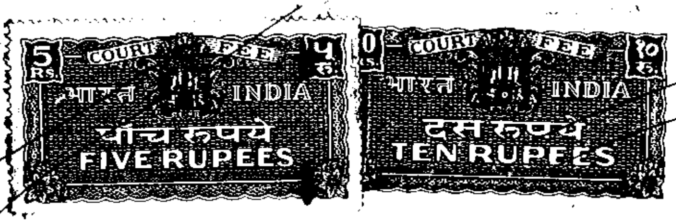

समक्ष- श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

भुवानी शंकर आत्मज शारदाप्रसाद ब्राह्मण निवासी पिड़रई तह0 तेंदूखेड़ा हाल निवासी महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर मुहत्तमकार श्रीदेव विष्णु भगवान मंदिर महाराजपुर

------आवेदक

//बनाम//

1- राजाराम बल्द साहबलाल पाठक "अध्यक्ष" संघर्ष समिति महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर

2- हरिकृपाल आत्मज रामानुज तिवारी निवासी हाल निवासी

-----अनावेदकगण/उत्तर-वादीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थी है :-

आवेदक यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के अपील प्र.क्र. 83ए/6 वर्ष 98-99, अपील प्र.क्र. 22ए/6 वर्ष 98-99, 23ए/6 वर्ष 98-99 24 ए/6 वर्ष 98-99 में पारित आदेश दिनांक 9/7/04 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

//प्रकरण के तथ्य//

1- यह कि, आवेदक इस प्रकरण में हितधारी आवश्यक पक्षकार था किन्तु उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रकरण में उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है ।

2- यह कि, आवेदक प्रकरण में उल्लिखित सम्पत्तियों का एक मेव भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी मालिक है तथा उक्त मंदिर का मुहत्तमकार है जिसका पटवारी अभिलेख में नाम दर्ज है किन्तु उत्तरवादी क्र.1 ने अपने आपको मुहत्तमकार लेखकर